

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,  
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2026/

दिनांक:-

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/ आदेशों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17(3) में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है:-

1. पूर्व-अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली-पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि-पत्र,
2. पूर्व-अर्हता या यथास्थिति बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वाले की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है.
3. पूर्व-अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वाला, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, कि विशिष्टता, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि.
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं(NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है। उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 की पालना नहीं की जा रही है जो कि गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त के संबंध में सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17(3) के अनुसार सभी बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित(upload) कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही भविष्य में उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

  
(लालित वर्मा)

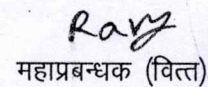
वित्तीय सलाहकार

दिनांक:- 07/09/26

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2026/4602

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, .....।
9. रक्षित पत्रावली।

  
महाप्रबन्धक (वित्त)

I.T. 1300  
8/9/26